राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 195/2004

डॉ. अशोक कलवार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.02.2004
आदेश की दिनांक : 03.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रहलाद सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2004 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी ने जो जुलाई, 1999 में पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है, के आधार पर दो वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रदान की जावे और तद्नुसार अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया जावे तथा शेष राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ प्रदर्शक बायो फिजिक्स के पद पर वर्ष 1991 में नियुक्ति हुई थी। अपीलार्थी ने वर्ष 1998 में पीजी डिप्लोमा सेवा के दौरान उत्तीर्ण किया, जिसकी विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। अपीलार्थी ने उक्त योग्यता की सूचना विभाग को दी और यह अनुरोध किया कि दो अग्रिम वेतन वृद्धि नियम, 1998 के अंतर्गत प्रदान की जावे, जिसे विभाग के आदेश दिनांक 08.01.2004 के द्वारा उक्त लाभ दिए जाने से इनकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2004 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी ने जो जुलाई, 1999

में पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है, के आधार पर दो वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रदान की जावे और तद्नुसार अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया जावे तथा शेष राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 14.07.1998 की शर्त के आधार पर अपीलार्थी कोई भी अतिरिक्त वेतन एवं पदोन्नति की मांग नहीं करेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि भी राजकीय कर्मचारी की वेतन का हिस्सा है और इस प्रकार उक्त आदेश में दर्शाए गए शर्तों के आधार पर अपीलार्थी दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई उक्त दो वेतन वृद्धि नियम विरूद्ध है, जिसे पूर्व आदेश दिनांक 24.02.2001, 28.08.2003 एवं 08.01.2004 के द्वारा अपीलार्थी की मांगों को निरस्त किया जा चुका है, जो नियमानुसार है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी ने पी.जी. डिप्लोमा विभाग की अनुमति के आधार पर ही उत्तीर्ण किया है और अपीलार्थी न ही पदोन्नति की मांग कर रहा है और न ही अतिरिक्त वेतन की मांग कर रहा है। अपीलार्थी द्वारा अग्रिम दो वेतन वृद्धि नियम, 13 एवं शेड्यूल 4 के अंतर्गत ही मांग की है, जो नियमानुसार है और इस प्रकार उक्त नियमों के अंतर्गत अपीलार्थी अग्रिम दो वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ प्रदर्शक बायो फिजिक्स के पद पर वर्ष 1991 में नियुक्ति हुई थी। अपीलार्थी ने वर्ष 1998 में पीजी डिप्लोमा सेवा के दौरान उत्तीर्ण किया, जिसकी विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। जहां तक अपीलार्थी को दो वार्षिक वेतन वृद्धि विभाग द्वारा नहीं दिए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 14.07.1998 के अवलोकन से प्रकट होता है, जिसमें निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख किया गया है :–

1. कार्यमुक्त होने से पूर्व नियमानुसार राशि अथवा 3 वर्ष की राज्य सेवा करने का बंधक पत्र भरना होगा।

2. कोर्स पूर्ण होने के उपरांत प्रमाण पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

3. कोर्स करने के उपरांत चिकित्सक किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं पदोन्नति की मांग नहीं करेगा।

4. वीएआरसी पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा।

हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा उत्तीर्ण किए गए पीजी डिप्लोमा के आधार पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की मांग जो की गई है वह उक्त आदेश दिनांक 14.07.1998 की उक्त शर्तों के विपरीत मांग की गई है, जो हमारे मत में नियम विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं और इस प्रकार अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य